<u>न्यायालयः— प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जिला—बेमेतरा (छ.ग.)</u>
<u>(पीठासीन अधिकारी— पंकज कुमार सिन्हा)</u>

CIS No. Civil Appeal- A /01/2023
<u>व्यव. अपील प्र. क्र. — 01 अ/2023</u>
<u>संस्थित दिनांक— 31.10.2022</u>
<u>इस न्यायालय में प्राप्त दिनांक — 04.11.2022</u>

PANKAJ KUMAR SINHA
Digitally signed by PANKAJ KUMAR SINHA
Date: 2023.04.06 11:29:36 +0530

बराती उर्फ भोंदू पिता स्व. रेवाराम लोधी,
उम्र लगभग 59 वर्ष, पेशा कृषक,
निवासी—ग्राम परसबोड़, तहसील साजा,
जिला बेमेतरा (छ.ग.) .... **<u>अपीलार्थी/वादी</u>**

—— :: <u>विरूद्ध</u> :: ——

1. **गिरधारी वल्द रेवाराम लोधी, उम्र—48 वर्ष,**
2. **भगवती बेवा मीनाराम लोधी, उम्र—44 वर्ष,**
   दोनों निवासी—ग्राम परसबोड़, तहसील—साजा,
   जिला बेमेतरा (छ.ग.)
3. **छत्तीसगढ़ शासन,**
   द्वारा कलेक्टर, बेमेतरा, जिला—बेमेतरा (छ.ग.) ......उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण

न्यायालय :— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—02 साजा, जिला बेमेतरा (पीठासीन अधिकारी श्रीमती अंकिता मुदलियार) के व्यवहार वाद क्र. **16ए/2015, *बराती उर्फ भोंदू विरूद्ध मीनाबाई वगैरह*** में घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक **29.09.2022** के विरूद्ध प्रथम व्यवहार अपील।

अपीलार्थी द्वारा श्री **लक्ष्मीकांत तिवारी**, अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्र. 01 एवं 02 द्वारा श्री **ओ.पी.वर्मा** अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्र. 03 एकपक्षीय।

—:: <u>निर्णय</u> ::—

<u>(आज दिनांक 03.03.2023 को घोषित)</u>

01— अपीलार्थी/वादी ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—02, साजा, जिला बेमेतरा (पीठासीन अधिकारी—श्रीमती अंकिता मुदलियार) के व्यवहारवाद क्रमांक **16**

A/2015, ***बराती उर्फ भोंदू विरूद्ध मीनाबाई वगैरह,*** में घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक **29.09.2022** से क्षुब्ध होकर धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन यह प्रथम व्यवहार अपील प्रस्तुत किया है।

02– प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03– विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शित भूमि के संबंध में सहस्वामित्वाधिकार की घोषणा, विभाजन, पृथक कब्जा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु उत्तरवादी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपना दावा प्रस्तुत करते हुये ऐसा अभिवचन किया है कि अपीलार्थी/वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 हिन्दू है एवं हिन्दू विधि के बनारस स्कूल के मिताक्षरा शाखा से शासित होते हैं। वादी/अपीलार्थी का ऐसा भी अभिवचन है कि वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित भूमि वादी के पितामह गणेश की रही है तथा उक्त वादभूमि वादी के पिता रेवाराम को विरासतन हक में प्राप्त हुआ था। वादी/अपीलार्थी का ऐसा भी अभिवचन है कि वादी के पिता रेवाराम के स्वामित्व में ग्राम परसबोड़ स्थित भूमि खसरा नंबर 405, 426, 436, 441, 1262, 1323, 1526, 1755 रकबा क्रमशः 1.542, 0.101, 0.967, 0.518, 0.243, 0.036, 0.069, 0.645, 0. 405 कुल खसरा नंबर 09 कुल रकबा 4.529 हेक्टेयर अपने पिता गणेश से वर्ष 1979 में प्राप्त कर उस पर काश्त–काबिज रहा है। वादी/अपीलार्थी का ऐसा भी अभिवचन है कि रेवाराम के पुत्र वादी बराती, प्रतिवादी मीनाराम (मृत) एवं गिरधारी रहे हैं तथा वादी के पिता रेवाराम से वादी की मां भंगीन बाई का वर्ष 1996 में विभाजन हुआ था, जो भूमि खसरा नंबर 433, 436 रकबा 0.967, 0.518 कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 1.485 हेक्टयर प्राप्त कर पृथक हो गई थी और उस दरमियान रेवाराम, वादी बराती तथा उसका मृतक पुत्र मीनाराम एवं प्रतिवादी क्रमांक 01

गिरधारी संयुक्त रहे और उनके मध्य विभाजन नहीं हुआ था।

04– वादी/अपीलार्थी ने अपने वादपत्र में ऐसा अभिवचन है कि रेवाराम के स्वामित्व की भूमि को उसके जीवनकाल में मृत मीनाराम, गिरधारी पैतृक भूमि को वादी को बगैर बंटवारा दिये उसके अदम जानकारी में दिनांक 04.03.1998 को परिशिष्ट 'अ' में विगत भूमि का विभाजन कर लिये, जिसके कारण नामांतरण क्रमांक 34, आदेश दिनांक 04.03.1998 वादी पर बंधन कारक नहीं है। वादी/अपीलार्थी का ऐसा भी अभिवचन है कि रेवाराम की वर्ष 2005 में मृत्यु हो चुकी है और उक्त वादभूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभक्त भूमि होने से वादी का 1/3 स्वत्व एवं हक निहित है। वादी/अपीलार्थी का ऐसा भी अभिवचन है कि वादी एवं प्रतिवादी द्वारा विभाजन होने के पश्चात् अपने–अपने हिस्से को विक्रय किया गया है तथा वादी बिक्रीत भूमि का अनुतोष नहीं चाहता है। वादी/अपीलार्थी का ऐसा भी अभिवचन है कि वादी एवं प्रतिवादी संयुक्त अवस्था में प्रतिवादी क्रमांक 02 भगवती के नाम पर खसरा नंबर 915/2 रकबा 0.77 हेक्टेयर भूमि क्रय किये थे, उक्त भूमि संयुक्त परिवार के आय से क्रय की गई भूमि होने के कारण पैतृक भूमि का अंग माना जायेगा। वादी/अपीलार्थी का ऐसा भी अभिवचन है कि वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ में वर्णित भूमि कुल खसरा नंबर 17 रकबा 3.17 हेक्टेयर पैतृक भूमि होने से वादी का 1/3 हिस्सा अर्थात 1.05 हेक्टेयर अंश निहित है, जिसे वह विभाजन में प्राप्त करने का अधिकारी है।

05– वादी/अपीलार्थी ने अपने वादपत्र में ऐसा अभिवचन है कि वादी जनवरी 2015 में प्रतिवादी क्रमांक 01 मृत मीनाराम एवं 02 गिरधारी से विभाजन की मांग करने पर उन्होंने पैतृक भूमि को रेवाराम के जीवनकाल में मृत मीनाराम एवं गिरधारी के नाम से होने एवं भगवती के नाम से क्रय किये जाने से मृत

मीनाराम द्वारा वादी को मीनाराम तथा गिरधारी के किश्तबंदी एवं विभाजन नामांतरण पंजी की छायाप्रति देकर मीनाराम, गिरधारी तथा भगवती के नाम में होने से उसे वादी को विभाजन में देने से इंकार किया, तब हल्का पटवारी एवं जिला अभिलेखागार से जानकारी प्राप्त किये जाने के उपरांत यह दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी/अपीलार्थी का ऐसा भी अभिवचन है कि वह वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ की भूमि, संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि में से सहस्वामित्वाधिकार की घोषणा का 1/3 हिस्सा विभाजन कर, पृथक कब्जा एवं वादी के हिस्से में मीनाराम एवं गिरधारी हस्तक्षेप न करे इस आशय का स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अनुरोध किया है।

06— विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी गिरधारीलाल एवं भगवती ने अपना **जवाबदावा** प्रस्तुत करते हुए, ऐसा अभिकवचन किया है कि रेवाराम ने लगभग 13 एकड़ भूमि क्रय कर वादी के नाम पर रखा था, जो पैतृक भूमि की आय से अर्जित भूमि है, इसलिये यह भूमि भी संयुक्त हक की भूमि है, जिसे शामिल किये बिना यह दावा पोषणीय नहीं है। प्रतिवादीगणों ने ऐसा भी अभिवचन किया है कि गणेश राम के दो पुत्र रेवाराम एवं धनीराम तथा गणेशराम की पत्नी फाफी बाई इन सभी के मध्य विभाजन कब हुआ था, तथा उन्हें जो भूमि मिली थी, उसका विवरण वादी की ओर से नहीं दिया गया है। इन प्रतिवादीगणों का ऐसा भी अभिवचन है कि वादी एवं प्रतिवादीगणों की मां भंगीन बाई को विभाजन में भूमि प्राप्त हुआ था, तथा शेष सहदायिकों को भी उसी समय विभाजन में भूमि प्रदान की गई थी, तथा सभी विभाजन कराकर पृथक हो गये थे, विभाजन के अनुसार राजस्व अभिलेखों में खाता विभाजन दिनांक **04.03.1998** को हुआ था तथा वादी को जो भूमि विभाजन से प्राप्त भूमि वादी/अपीलार्थी के नाम पर दर्ज था, जिसका विवरण वादी/अपीलार्थी ने

अपने वादपत्र में जानबूझकर नहीं किया है और उक्त भूमि को शामिल करते हुये अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है, पूर्व विभाजन वादी पर बंधनकारी है, उसे पुनः विभाजन का वाद लाने का अधिकार नहीं होने से वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं है।

07– प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 का ऐसा भी अभिवचन है कि परिवार की पैतृक भूमि तथा पैतृक भूमि की आय से अर्जित अन्य भूमि जो शामिल–शरीक हक में रहा है, जिसका विभाजन हो चुका है तथा आपसी विभाजन के अनुसार प्रतिवादीगण तथा मां भंगीन बाई के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ है तथा वादी को विभाजन में प्राप्त भूमि स्वयं उसके नाम पर दर्ज थी, किन्तु वादी ने अपने नाम पर दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाते हुये संयुक्त हक के भूमि को अपने पुत्र एवं पत्नी के नाम पर दर्ज करा दिया है, जिसमें प्रतिवादीगणों को विभाजन में प्राप्त भूमि भी शामिल थी, जिसकी जानकारी होने पर वादी द्वारा कराया गया अवैध नामांतरण अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निरस्त किया गया है, पूर्व के आपसी विभाजन के अनुसार नामांतरण क्रमांक **34**, प्रमाणीकरण दिनांक **04.03.1998** के अनुसार खाता पृथक किया गया है तथा प्रतिवादीगण के नाम पर राजस्व अभिलेख में भूमि दर्ज है, जो वादी पर बंधनकारी है, वादी ने एक अन्य वाद क्रमांक **13अ/2011** अपर जिला न्यायाधीश, बेमेतरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक **27.09.2014** को निर्णय घोषित किया गया है। इन प्रतिवादीगणों का ऐसा भी अभिवचन है कि वादप्रश्न क्रमांक 02, 03 एवं 04 में दिये गये निष्कर्ष के आलोक में वादी का दावा प्रांग्ग न्याय की श्रेणी में आने से अप्रचलनशील है।

08– इन प्रतिवादीगणों का ऐसा भी अभिवचन है कि वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' की भूमि न तो पैतृक भूमि का भाग है, और न ही पैतृक भूमि

की आय से अर्जित भूमि है, वर्णित भूमि भंगीन बाई के एकाकी स्वामित्व की भूमि है, जिसके विरूद्ध वादी का दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकारी नहीं है। इन प्रतिवादीगणों का ऐसा भी अभिवचन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य 23 वर्ष पूर्व विभाजन हो चुका है तथा विभाजन के पश्चात् नामांतरण भी हो चुका है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि में काबिज भी हैं, वादी को जो भूमि विभाजन में प्राप्त हुआ था, उसे वह अक्षुण्य रखते हुये प्रतिवादीगणों को प्राप्त भूमि को पुनः विभाजन कराये जाने के दुराश्य से यह वाद प्रस्तुत किया है, और अपर जिला न्यायाधीश, बेमेतरा के द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 23.09.2014 द्वारा निराकृत विवाद्यकों के प्रतिकूल पुनः यह वाद लाने का वादी को अधिकारी नहीं है। इन प्रतिवादीगणों का ऐसा भी अभिवचन है कि उभयपक्ष के मध्य 23 वर्ष पूर्व विभाजन की जानकारी वादी को है, तथा वह अपने हिस्से की भूमि के कब्जे में भी है और उनके पिता रेवाराम की मृत्यु वर्ष 2005 में हुई है अतः वादी का दावा समयावधि से भी बाधित है, अतः वादी का दावा निरस्त किया जावे।

09– विचारण न्यायालय के द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर कुल **09** वाद बिन्दुओं की विरचना की गई तथा उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत प्रश्नाधीन निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक **29.09.2022** घोषित किया गया है।

10– इस प्रकरण में अपीलार्थी/वादी बराती उर्फ भोंदू की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत **आदेश 41 नियम 27** व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन पत्र मय सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये ऐसा तर्क किया गया है कि वह सूची अनुसार दस्तावेज के रूप में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ***WP 227 No. 588 of 2018*** *पक्षकार भोंदू उर्फ बराती एवं तीन अन्य व भंगीन बाई एवं छह*

अन्य में पारित आदेश दिनांक **13.09.2022** के प्रमाणित प्रतिलिपि का फोटोप्रति प्रस्तुत किया है, जो कि इन्हीं पक्षकारों के मध्य निराकृत प्रकरण है, जो इस प्रकरणके निराकरण में सहायक है। उनका ऐसा भी तर्क है कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक **13.09.2022** के **16 दिन** बाद विचारण न्यायालय के द्वारा उन्हीं पक्षकारों के मध्य लंबित व्यवहार वाद को निराकृत किया गया है, और उक्त दस्तावेज को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, अतः उसे अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जावे, जबकि उत्तरवादीगणों का ऐसा तर्क है कि अपीलार्थी की ओर से जो दस्तावेज अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है, वह यद्यपि इन्हीं पक्षकारों के मध्य राजस्व न्यायालयों में चले नामांतरण से संबंधित मामले के विरूद्ध माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये गये रिट याचिका में दिये गये निर्णय के प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति होना तो प्रतीत होता है, किन्तु माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा उभयपक्ष के मध्य लंबित वादभूमि ख.नं. 941 रकबा 2.61, तथा खसरा नंबर 1832 रकबा 3.05 एकड़ से संबंधित है और उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि इस प्रकरण में विवादित नहीं रही है, ऐसी स्थिति में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक **13.09.2022** का इस प्रकरण में नहीं पड़ेगा।

11– अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश **41** नियम **27** व्यवहार प्रक्रिया संहिता के संबंध में विधिक प्रावधानों के अवलोकन से ऐसा स्पष्ट होता है कि न तो इस अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया दस्तावेजी साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा अग्राह्य किया गया था, जिकसे ग्राहय किया जाना चाहिये था और न ही इस

प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि *"वह पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है, यह सिद्ध कर देता है कि वह सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता था या उसे उस समय पेश नहीं कर सकता था, जब वह डिक्री पारित की गई थी, जिसके विरूद्ध अपील की गई है।"* किन्तु अपीलार्थी की ओर से सूची अनुसार दस्तावेज के रूप में जो माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2022 के प्रमाणित की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, वह निश्चित रूप से इसी प्रकरण के पक्षकारों के मध्य निराकृत मामला होना प्रतीत होता है, और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांक **13.09.2022** को पारित किया गया है, अतः प्रकरण के न्यायपूर्ण एवं समुचित निराकरण के लिये अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत **आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है।**

–:: अपील के आधार ::–

12– अपीलार्थी/वादी ने अपना अपील इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि:– विचारण न्यायालय के द्वारा वैधानिक प्रावधानों एवं तथ्यों को समझे बिना ही प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी/वादी ने अपना अपील इस आधार पर भी प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय को वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज से यह मानने के लिये पर्याप्त था कि परिशिष्ट 'अ' में दर्शित भूमि अविभाविज है एवं वादी को पैतृक भूमि में विभाजन नहीं दिया गया है। अपीलार्थी/वादी ने अपना अपील इस आधार पर भी प्रस्तुत किया गया है कि अपर जिला न्यायाधीश, बेमेतरा के समक्ष जो प्रकरण चला है, वह क्रयशुदा भूमि होने से वादी के अनन्य स्वामित्व की

भूमि न मानकर विचारण न्यायालय ने विधि की त्रुटि कारित किया है। अपीलार्थी/वादी ने अपना अपील इस आधार पर भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 1998 में वादभूमि से संबंधित पक्षकार प्रतिवादी क्रमांक 01 से 03 रहे हैं, जिसे विचारण न्यायालय ने कुसंयोजन मानकर विधि की त्रुटी कारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी/वादी ने अपना अपील इस आधार पर भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी ने अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 941, 1832 को अपने पत्नी एवं पुत्रों के नाम पर पारिवारिक व्यवस्था के तहत् दिया गया है एवं उक्त संबंध में राजस्व न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका प्रस्तुत किया है, जिसका याचिका क्रमांक 588/2018, आदेश दिनांक 13.09.2022 क्रयशुदा भूमि भोंदू की स्वअर्जित मानते हुये याचिका स्वीकार कर राजस्व न्यायालय के आदेश को अपास्त किया गया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक **29.09.2022** को अपास्त किया जाये।

13– उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया गया एवं विचारण न्यायालय में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का परिशीलन किया गया, तथा विचारण न्यायालय के द्वारा घोषित किये गये निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक **29.09.2022** का भी अवलोकन किया गया।

14– इस प्रकरण में मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

"क्या विचारण न्यायालय के द्वारा घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 29.09.2022 अपास्त किये जाने योग्य है ?"

–:: निष्कर्ष के आधार ::–

15– विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपने अधिकारों के घोषणा हेतु जो व्यक्ति न्यायालय में अभिवचन करता है, उसे अपने अभिवचनों को अपनी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के माध्यम से प्रमाणित करना होता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अनुसार– **"जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है।"** इसी प्रकार साक्ष्य अधिनियम की धारा **102** के अनुसार– **"किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है, जो असफल हो जायेगा, यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी व्यक्ति साक्ष्य न दिये जायें।"** अर्थात यह स्पष्ट है कि वादी को अपना दावा स्वयं अपनी ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित करना चाहिये।

16– विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये वादी बराती उर्फ भोंदू (वा.सा.क्र.01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 18 के दूसरे लाईन में प्रतिवादीगणों के इस सुझाव को **स्वीकार** किया है कि *"श्रीमान जिला न्यायाधीश बेमेतरा में ग्राम परसबोड़ स्थित भूमि ख.नं. 941 रकबा 2.61 हे. तथा खसरा नंबर 1832 के संबंध में स्वामित्व की घोषणा, कब्जा प्रदान करने एवं क्षतिपूर्ति की राशि दिलाये जाने बाबत पेश किया गया था।"* यह साक्षी आगे अपने प्रतिपरीक्षण की इसी कंडिका 18 के सातवें लाईन में प्रतिवादीगणों के इस सुझाव को भी **स्वीकार** किया है कि *"उक्त मामले में* ***दिनांक 27.09.2014*** *को निर्णय हो चुका है, उक्त वाद में मेरा दावा प्रमाणित नहीं पाये जाने के आधार पर खारिज किया गया था, उक्त*

*वर्णित दोनों खसरा नंबर की भूमि को **श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश बेमेतरा के द्वारा अपने निर्णय में पैतृक भूमि होने का निर्णय दिया गया था।**''* यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 20 के पहले लाईन में प्रतिवादीगणों के इस सुझाव को भी **स्वीकार** किया है कि *''मेरे तथा मेरे पुत्र नरेन्द्र, कोमल तथा मेरी पत्नी तारण बाई के द्वारा मेरी मां भंगीन बाई, भाई बहू भगवती बाई, गिरधारी, प्यारी, पुष्पा, प्रभा, कुमारी बाई एवं गैंदलाल के विरूद्ध इसी न्यायालय में खसरा नंबर 941 रकबा 2.61 हे. एवं खसरा नंबर 1832, रकबा 3.50 हे. के संबंध मे स्वामित्व की घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु पृथक से वाद पेश किया हूं, जिसका व्यवहार वाद क्रमांक **10ए/2016** है।''*

17– विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये वादी बराती उर्फ भोंदू (वा.सा.क्र.01) से उसके प्रतिपरीक्षण की कंडिका 20 के पश्चात् यह प्रश्न किये जाने पर कि जिस भूमि के संबंध में व्यवहार वाद क्रमांक **10ए/2016** आपलोगों ने पेश किया था, उसके संबंध में श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश बेमेतरा के द्वारा निर्णित किया जा चुका है, जिसके बावजूद इस न्यायालय में वाद पेश किया गया था, क्यों ? यह साक्षी ऐसा उत्तर दिया है कि *''खसरा नंबर 941, 1832 रकबा क्रमश 3.50, 2.61 हे. भूमि मैंने अपने पारिवारिक व्यवस्था के तहत खसरा नंबर 941 रकबा 2.61 हे. को मेरी पत्नी तारण बाई के नाम पर किया था तथा खसरा नंबर 1832 रकबा 3.50 हे. जिसको मेरे पुत्र नरेन्द्र एवं कोमल के नाम पर नामांतरण क्रमांक 33 दिनांक 03.03.1998 को किया था, जिसके बारे में भंगीन बाई, पुष्पा, कुमारी, मीना, गिरधारी, प्यारी बाई किया था आदेश दिनांक 03.03.98 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी साजा सन 2011–12 को 14 वर्ष पश्चात नामांतरण पंजी के*

खिलाफ था, अनुविभागीय अधिकारी साजा के समक्ष वाद पेश किये है, जिसमें नामांतरण पंजी 03.03.98 को सत्य मानकर अनुविभागीय अधिकारी साजा ने दिनांक 04.03.2014 को बिना साक्ष्य सबूत के आदेश पारित किया है कि सभी का नाम संयुक्त रूप से जोड़ा जाये, आदेश किया इसी कारण मैंने नालिस पेश किया है।''

18– विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये वादी बराती (वा.सा. क्र.01) अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 22 के बारहवें लाईन में ऐसा अभिकथन किया है कि ***'खसरा नंबर 941, 1832 को मेरे परदादा रतिराम द्वारा दिया गया था,*** *स्वतः कहा कि अपने जीवनकाल में स्वेच्छया से विक्रय पत्र द्वारा दिया था,* ***मेरे दादा रतिराम ने विक्रय पत्र के आधार पर जब जमीन दिया, उस समय मेरी उम्र 8 वर्ष की थी।''*** यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 23 के छठवें लाईन में ऐसा अभिकथन किया है कि ***''विक्रय पत्र दिनांक 10.03.1971 को निष्पादित किया गया था, विक्रय पत्र दिनांक को मेरे पास आय कोई साधन नहीं था और मेरे द्वारा प्रतिफल की कोई राशि अदा नहीं किया गया था।''*** यह साक्षी आगे अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 24 के तीसरे लाईन में प्रतिवादीगणों के इस सुझाव को भी **स्वीकार** किया है कि *''विक्रयपत्र दिनांक 10.03.1971 से अर्जित भूमि में से खसरा नंबर 107 रकबा 2.91 हे. भूमि को मेरे पिताजी ने अपने जीवनकाल में फत्तेचंद के पास विक्रय किया है, मेरे द्वारा मेरे पिता द्वारा बेची गई उक्त जमीन को इस ममाले में शामिल करके वाद नहीं लाया हूं।''* यह साक्षी आगे अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 28 के सातवे लाईन में प्रतिवादीगणों के इस सुझाव को भी **स्वीकार** किया है कि *''प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 वर्तमान में ग्राम परसबोड़ में जिस भूमि पर कास्त कर रहे है उसमें वे लोग 27–28 साल से खेती किसानी कार्य करते आ रहे हैं।''* यह

साक्षी आगे अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 29 के पांचवे लाईन में प्रतिवादीगणों के इस सुझाव को भी **स्वीकार** किया है कि *''पैतृक संपत्ति का बंटवारा मेरे पिता रेवाराम ने 27–28 वर्ष पूर्व मेरे पास कर दिया था, पिताजी के द्वारा किये गये बंटवारा के अनुसार प्रतिवादी मीनाराम और गिरधारी के नाम पर उन्हें प्राप्त भूमि उनके नाम पर नामांतरण क्रमांक 34 प्रमाणीकरण दिनांक 04.03.98 के अनुसार दर्ज हुआ है।''* यह साक्षी आगे अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 30 के तीसरे लाईन में प्रतिवादीगणों के इस सुझाव को भी **स्वीकार** किया है कि *''नामांतरण क्रमांक 33 प्रमाणीकरण 03.03.98 के अनुसार खसरा नंबर 1832 का टूकडा 1.75 हे. अपने नाबालिग पुत्र नरेन्द्र तथा खसरा नंबर 1832 का टूकड़ा 1.75 हे. अपने नाबालिग पुत्र कोमल के नाम पर दर्ज करवाया था, स्वतः कहा कि खसरा नंबर 941 रकबा 2. 61 हे. भूमि को अपनी पत्नी तारण बाई के नाम पर दिनांक 03.03.98 को ही नामांतरण किया था।''*

19– विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये वादी बराती उर्फ भोंदू (वा.सा.क्र.01) अपने प्रतिपरीक्षण की इसी कंडिका 30 के दसवे लाईन में प्रतिवादीगणों के इस सुझाव को **स्वीकार** किया है कि *''नामांतरण क्रमांक 34 प्रमाणीकरण दिनांक 04.03.1998 में मेरे पिता रेवाराम मेरी माता भंगीनबाई तथा मेरी पत्नी तारण बाई का हस्ताक्षर है।''* यह साक्षी आगे अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 31 के आठवे लाईन में प्रतिवादीगणों के इस सुझाव को भी **स्वीकार** किया है कि *''भगवती बाई के नाम पर दर्ज भूमि खसरा नंबर 915 बंदोबस्त के पूर्व क्या खसरा नंबर था, उसकी मुझे जानकारी नहीं है* ***खसरा नंबर 915 मेरे पिता या मेरे पूर्वजों के नाम पर दर्ज रही है अथवा नहीं मैं नहीं बता सकता।''*** यह साक्षी आगे अपने

प्रतिपरीक्षण की कंडिका 33 के पहले लाईन में ऐसा अभिकथन किया है कि ''*खसरा नंबर 9515–1 का भाग किसके नाम पर दर्ज है, मैं नहीं बता सकता, मैं अपने नालिस में मां भंगीन बाई को बंटवारा में जो जमीन मिला उसे रद्द किया जावे, ऐसा नालिस नहीं किया हूं, भगवती बाई के द्वारा जब खरीदी गई जमीन का विक्रय पत्र मैंने पेश नहीं किया है, भगवती बाई ने कितने में जमीन खरीदा है, मैं नहीं जानता।*' यह साक्षी आगे अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 31 के सातवे लाईन में ऐसा अभिकथन किया है कि ''***भगवती बाई ने कड़गू सतनामी के पास से जमीन खरीदा है, कड़गू सतनामी को मैंने इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया है।''*** यह साक्षी आगे अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 34 के पहले लाईन में प्रतिवादीगणों के इस सुझाव को भी **स्वीकार** किया है कि ''*खसरा नंबर 1686/1 व 2 मेरे पुत्र नरेन्द्र एवं कोमल के नाम पर दर्ज है, 1686/1 व 2 पैतृक भूमि है, मैंने उक्त अपने दोनों पुत्रों को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया है खसरा नंबर 2067 ईश्वर उत्तम के नाम पर दर्ज है।*' यह साक्षी आगे अपने प्रतिपरीक्षण की इसी कंडिका 34 के छठवें लाईन में प्रतिवादीगणों के इस सुझाव को **स्वीकार** किया है कि ***''मैंने ईश्वर को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया है।''*** इस साक्षी से उसके प्रतिपरीक्षण की कंडिका 34 के पश्चात यह प्रश्न किये जाने पर कि – पैतृक भूमि के विभाजन के संबंध में आप व्यवहार वाद क्रमांक **13अ/2011** न्यायालय श्रीमान जिला अपर न्यायाधीश, बेमेतरा के निर्णय दिनांक **27.09.2014** में पारित निर्णय एवं डिक्री के अनुसार इस वाद के विषय के संबंध में निर्णित किया जा चुका है, इसलिये यह वाद चलने योग्य नही है? यह साक्षी ऐसा उत्तर दिया है कि – ''***श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश बेमेतरा के समक्ष खसरा नंबर 941 एवं 1832 रकबा 2.61 हे. एवं 0.14 हे. के संबंध में मैंने वाद पेश किया है।''*** तथा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किंय गये माननीय

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ***WP 227 No. 588 of 2018*** *पक्षकार भोंदू उर्फ बराती एवं तीन अन्य व भंगीन बाई एवं छह अन्य* में पारित आदेश दिनांक **13.09.2022** के अवलोकन से ऐसा स्पष्ट होता है कि माननीय छत्तसीगढ़ उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 13.09.2022 वादभूमि 941 एवं 1832 के संबंध में ही है।

20– विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये प्रतिवादी साक्षी गिरधारी (प्र.सा.क्र.01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 के पहले लाईन में ऐसा अभिकथन किया है कि *''मुझे जानकारी है कि मेरे पिताजी के नाम खसरा नंबर 915, 944, 917, 929, 932, 1662, 1686, 1796, 2067, कुल खसरा नंबर 9 कुल रकबा 4.500 हे. भूमि रही है, शेष जमीन बराती के नाम पर है।'' यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 के चौथें लाईन में प्रतिवादीगणों के इस सुझाव को* **स्वीकार** *किया है कि* ***''मेरी मां भंगीन बाई 1996 में रेवाराम से खसरा नंबर 437, 436 कुल खसरा नंबर 2 कुल रकबा 1.48 हे. प्राप्त कर पृथक हो गई*** *थी, स्वतः कहा बंटवारा वर्ष 1995–96 में हुआ था।''* यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 13 के पहले लाईन में प्रतिवादीगणों के इस सुझाव को भी **स्वीकार** किया है कि *''भोंदू के नाम पर 941, 1832 खसरा नंबर की भूमि रही थी, जिसे बराती ने अपनी पत्नी तारण बाई, पुत्र कोमल व नरेन्द्र के बीच बंटवारा में दिया था, 1995–96 में जो बंटवारा हुआ था उसके अनुसार खसरा नंबर* ***941, 1832 में जो जमीन हमें हिस्से में मिला था वह हमारे नाम पर नामांतरण हुआ था।''*** यह साक्षी आगे अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 14 के तीसरे लाईन में प्रतिवादीगणों के इस सुझाव को भी **स्वीकार** किया है कि *''मैंने 13 एकड भूमि क्रय कर वादी के नाम रखा था, के संबंध*

में अपने जवाबदावा में उल्लेख किया है, उक्त संबंध में कोई दस्तावेज या विक्रय पत्र पेश नहीं किया है।''

21— इस प्रकार, न्यायालय में परीक्षित कराये गये उभयपक्ष के मौखिक साक्ष्य एवं उनकी ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन से जहां एक ओर ऐसा स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/वादी बराती उर्फ भोंदू तथा उसके मृत भाई मीनाराम तथा गिरधारी के बीच पूर्व में बंटवारा हो चुका था, वहीं दूसरी ओर विचारण न्यायालय के द्वारा घोषित किये गये निर्णय दिनांक **29.09.2022** के अवलोकन से ऐसा स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के द्वारा अपने उपरोक्त निर्णय की कंडिका 10 से 22 में अभिलेख में उपलब्ध उभयपक्ष के साक्ष्यों का समुचित रूप से विश्लेषण किया गया है और विचारण न्यायालय ने उपरोक्त साक्ष्यों का विस्तृत रूप से तथा समुचित ढंग से विश्लेषण करते हुये वाद प्रश्न क्रमांक 02 एवं 04 के संबंध में ऐसा निष्कर्ष दिया है कि अपीलार्थी/वादी वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट **'अ'** की भूमि कुल खसरा नंबर 17 कुल रकबा 3.17 हे. भूमि का विभाजन करवाकर 1/3 अंश प्राप्त करने एवं उसका पृथक कब्जा प्राप्त करने संबंधी अपना दावा को प्रमाणित नहीं कर सका है। विचारण न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से ऐसा भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/वादी विचारण न्यायालय के समक्ष अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा था और विचारण न्यायालय के द्वारा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित रूप से विश्लेषण करते हुये, प्रश्नाधीन निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक **29.09.2022** घोषित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, अतः अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत अपील **सारहीन होने**

से अपास्त किया जाता है एवं विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक **29.09.2022** की **पुष्टि की जाती है,** और निम्नानुसार आदेश एवं आज्ञप्ति प्रदान किया जाता है :–

1. अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अपील **निरस्त** किया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक **29.09.2022** की पुष्टि की जाती है।
2. प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
3. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर, अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो, नियमानुसार देय होगा।

"तदनुसार आज्ञप्ति बनाई जावें।"

22– निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही/–

(पंकज कुमार सिन्हा)
प्रथम अति. जिला न्यायाधीश, बेमेतरा
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

मेरे निदेशन पर टंकित

सही/–

(पंकज कुमार सिन्हा)
प्रथम अति. जिला न्यायाधीश, बेमेतरा
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)